

आयुर्ज्ञान के लिए आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना हेतु दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि:

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा एवं होम्योपैथी में समग्र उपचार की व्यवस्था है, जिसमें रोग निवारण, स्वास्थ्यवर्धन, रोगहर, स्वास्थ्य-सुधार तथा कायाकल्प संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। चिकित्सा शास्त्र की ये पद्धतियां सामान्यतः लागत प्रभावी तथा उपयोगी होती हैं, तथा विश्व स्तर पर इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चिकित्सा-शास्त्र की आयुष पद्धतियों का सदियों से प्रयोग किया जा रहा है, तथा स्वीकार्यता तथा अभ्यास की इन परम्पराओं का तभी से निरंतर प्रयोग किया जा रहा है। विश्व स्तर पर अधिकांश वर्गों के लोगों को चिकित्सा शास्त्र की आयुष पद्धतियों की जानकारी तथा लाभ का प्रचार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय के पास आयुष शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दो पृथक योजनाएं हैं। अब, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक ही योजना नामतः “आयुर्ज्ञान योजना” के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है ताकि शैक्षणिक कार्यकलापों, प्रशिक्षण, क्षमता-वर्धन आदि के माध्यम से आयुष शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।

आयुष में क्षमता-वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)

क्षमता-वर्धन “उन दक्षताओं, सहज वृत्तियों, क्षमताओं, प्रक्रियाओं और संसाधनों के विकास और सुदृढीकरण की प्रक्रिया है जिन्हें संगठनों और समुदायों को तेजी से बदलते विश्व में जीवित और अनुकूल बनाए रखने और सतत विकास करने की जरूरत है।” बदलाव, क्षमता-वर्धन का आवश्यक घटक है जो समय-समय पर उत्पन्न और निरंतर होता है।

सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) योजना, 11वीं योजना में कार्यान्वित की गई थी और तब से चल रही है। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयुष शिक्षकों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल और अन्य कार्मिकों को शामिल किया गया था। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में उनकी पेशेवर सक्षमता और दक्षता का उन्नयन करने और उनकी क्षमता-वर्धन के लिए अभी भी निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल और वैज्ञानिक नतीजों की उभरती प्रवृत्तियों को देखते हुए यह जरूरी है कि शिक्षकों, चिकित्साभ्यासियों, अनुसंधानकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के पेशेवर ज्ञान में समय-समय पर वृद्धि की जाए। इस योजना की समय संरचना का लक्ष्य आयुष कार्मिकों को आवश्यकता-आधारित पेशेवर प्रशिक्षण पाने और ज्ञान अंतराल को पाटने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि सचिवों के सेक्टरल ग्रुप ने सिफारिश में आयुष कार्यबल के क्षमता-वर्धन का सुझाव दिया है।

आयुष घटक में अनुसंधान और नवाचार

आयुष (AYUSH), आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के प्रथम अक्षरों के मेल से बना है और इसमें विभिन्न विकारों और रोगों की रोकथाम और उपचार हेतु इन पद्धतियों में प्रलेखित और प्रयुक्त उपचार शामिल हैं। भारत में इन पद्धतियों के तहत शिक्षण और नैदानिक देखभाल के लिए व्यापक ढांचागत सुविधा उपलब्ध है। तथापि, इन उपचारों की वैज्ञानिक प्रमाणिकता अभी बड़े स्तर पर जी जानी है। तत्कालीन आयुष विभाग ने तीन दशक पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद एवं सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी और योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए गठित अनुसंधान परिषदों द्वारा शुरू किए गए **बहिर्वर्ती अनुसंधान** के अलावा **अंतर्वर्ती अनुसंधान** की योजना शुरू की थी। इस योजना की शुरुआत और इसके नतीजे अभी तक सीमित रहे हैं और इसे अभी वैज्ञानिक जांच और नतीजों के मानकों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है। विभाग ने कार्यक्रमों/उपचारों की एक श्रृंखला शुरू की है जहां कारगरता के दावों के लिए प्रमाण-आधारित समर्थन की जरूरत है। उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और निरंतरता की भी बहुत अधिक जरूरत है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में और पारंपरिक तथा हर्बल चिकित्सा के बढ़ते विश्व बाजार को देखते हुए, दवाओं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, टॉयलेटरीज़ और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास की जरूरत है।

हर्बल उत्पादों के व्यापार में अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी नगण्य है। इसलिए संशोधित बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजना को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है ताकि अनुसंधान निष्कर्षों से आयुष दृष्टिकोण और औषधियों के दावों और स्वीकार्यता का सत्यापन हो सके।

2. योजना का उद्देश्य

2.क. आयुष में क्षमता-वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)

- i. आयुष स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में देश के स्तर पर घटक क्षमता का निर्माण, संवर्धन और विकास करना।
- ii. आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य पद्धतियों में सुधार करना जो टिकाऊ हैं।
- iii. आयुष पेशवरों को संगठित तरीके से आवश्यकता आधारित पेशवर प्रशिक्ष और पेशवर कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना।
- iv. शिक्षकों और चिकित्सकों के पेशवर ज्ञान को अद्यतन करना ताकि वे क्रमशः अच्छी शिक्षण पद्धतियों और अच्छी नैदानिक पद्धतियों को अपना सकें।
- v. आयुष संबंधी गतिविधियों और नई जानकारीयों के व्यापक प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और वेब आधारित शिक्षा कार्यक्रमों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- vi. स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के मानकों को बनाए रखने के लिए चिकित्सकों को स्वास्थ्य देखभाल के उभरते रुझानों और वैज्ञानिक परिणामों में प्रशिक्षित करना।
- vii. चिकित्सकों को पेशवर पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि उन्हें पेशवर रूप से अद्यतन बनाए रखा जा सके। आयुष-सीएमई दिशानिर्देश।

- viii. आयुष पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पतालों और औषधालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ix. गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष संस्थानों और अस्पतालों के प्रशासकों के लिए स्वास्थ्य पहलुओं पर आवश्यकता आधारित प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- x. आयुष पद्धतियों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों में वर्तमान रुझानों की अद्यतन जानकारी लेना और सहयोगात्मक सहयोग के लिए अनुसंधान के क्षेत्रों और अवसरों को उजागर करना।
- xi. आयुष पद्धतियों आदि में विनियामक मुद्दों को संबोधित करने वाले नए अधिनियमों/सूचनाओं और अन्य सूचनाओं के बारे में अवगत कराना।
- xii. आयुष अनुसंधान और शिक्षा के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों का मानकीकरण/सत्यापन और विकास करना।
- xiii. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतःविषयक दृष्टिकोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिकता की जांच करना।

2.ख. आयुष घटक में अनुसंधान और नवाचार

- i. प्राथमिकता वाले रोगों के लिए अनुसंधान और विकास (आर और डी) पर आधारित आयुष दवाओं का विकास;
- ii. आयुष उत्पादों और पद्धतियों के लिए सुरक्षा, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर आंकड़ों का सृजन करना;
- iii. आयुष दवाओं और उपचारों की प्रभावकारिता पर साक्ष्य आधारित समर्थन विकसित करना;
- iv. शास्त्रीय ग्रंथों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और आयुष पद्धतियों के मौलिक सिद्धांतों की जांच करना;
- v. कच्ची औषधियों और तैयार-शुदा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं में भारी धातुओं, कीटनाशक अवशेषों, माइक्रोबियल लोड, सुरक्षा/विषाक्तता आदि के आंकड़े जुटाना;
- vi. आयुष का निर्यात बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) क्षमता वाले आयुष उत्पादों को विकसित करना;
- vii. आयुष पद्धतियों में संभावित मानव संसाधन विकसित करना, विशेष रूप से आयुष पद्धतियों से संबंधित वैज्ञानिक रुझान और विशेषज्ञता पैदा करने के लिए;
- viii. आयुष विभाग और अन्य संगठनों/संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान उद्यम विकसित करना।

3. आयुर्ज्ञानयोजना के मुख्य घटक

3.क. आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई); और

3.ख. आयुष में अनुसंधान और नवाचार।

4. आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के उप घटक

(I) सीएमई कार्यक्रम:

- क. आयुष शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय विषय/विशेषता-विशिष्ट सीएमई कार्यक्रम।
- ख. गैर-आयुष चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए आयुष पद्धतियों का 6 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम (ओटीपी)।
- ग. आयुष पैरामेडिक्स/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/प्रशिक्षकों/चिकित्सकों के लिए 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण।
- घ. आयुष प्रशासकों/विभागाध्यक्षों/संस्थानों के प्रमुखों को प्रबंधन/आईटी में 3 दिवसीय/5 दिवसीय प्रशिक्षण।
- ङ. आयुष चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्साभ्यासियों या पृथकतः एवं आयुष सुविधाओं में नियोजित विषय-विशिष्ट लोगों के लिए 6 दिवसीय सीएमई कार्यक्रम।
- च. सीएमई के पात्र सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए आयुष प्रशिक्षकों के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी)।
- छ. आयुष/एलोपैथी डॉक्टरों के लिए योग/प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षणों का 6 दिवसीय ओटीपी कार्यक्रम।
- ज. विश्वविद्यालय विभागों के योग/प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षकों, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों और योग/प्राकृतिक चिकित्सा में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले डिग्री कॉलेजों के लिए 6 दिवसीय सीएमई।
- झ. क) आयुष चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए आयुष पद्धतियों की वैज्ञानिक समझ और उनके संवर्धन के लिए अनुसंधान एवं विकास के मौजूदा रुझानों, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ख) निम्नलिखित भावी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए 6 दिवसीय संवर्धन क्षमता-
- पुनरूद्धारक चिकित्सा, अगली पीढ़ी की सह-औषधि, क्वांटम प्रौद्योगिकियां और स्वास्थ्य देखभाल; और
 - नैनो-टेक्नालॉजी (जिसमें नैनोमेडिसिन और नैनोडिवाइसेस शामिल हैं), दवा के विकास में क्रांतिकारी बदलाव और जीनोमिक्स, प्रोटेओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स आदि जैसे ओमिक्स उपकरणों को शामिल करना, जो उन्नत उपकरणों का उपयोग करके आयुष के क्षेत्र में ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

(II) वेब-आधारित (ऑनलाइन) शैक्षिक कार्यक्रम:

- क. विभिन्न आयुष विशेषज्ञताओं में वेब-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।
- ख. व्यावसायिक ज्ञान के उन्नयन हेतु आयुष क्षेत्र में अद्यतन शिक्षा और अनुसंधान विकास के लिए वेब-आधारित समकक्ष पुनरीक्षित पत्रिकाओं को तैयार करना, विमोचन करना और संचालित करना।

(III) संबंधित क्षेत्र की जानकारी रखने वाले संगठनों को सहायता:

राष्ट्रीय संस्थानों की भांति उस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले संगठनों अर्थात् राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और अन्य विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संगठनों

को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि आयुष बिरादरी का हित हो सके:

- क. प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, सीडी और संरचित कार्यक्रमों को विकसित करना;
- ख. आयुष चिकित्सकों के लिए अभिनव सीएमई पाठ्यक्रमों को डिजाइन और विकसित करना;
- ग. शिक्षण/अभ्यास में आयुष पद्धतियों के उपयोग के लिए आईटी इंटरफेस (सॉफ्टवेयर) विकसित करना;
- घ. आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने और अंतर-विषयक संबंध विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक विशेष कक्षा/पीठ स्थापित करना।
- ङ. प्रतिष्ठित आयुष संस्थानों में शिक्षकों के लिए निम्नलिखित विषयों पर अभिनव अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना:
 - (i) नैदानिक प्रलेखन और निदान के लिए एकीकृत प्रोटोकॉल,
 - (ii) समग्र प्रबंधन के आधार पर नैदानिक परीक्षणों के लिए सांख्यिकीय डिजाइन,

(iv) सीएमई के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं/सम्मेलन:

आयुष मंत्रालय द्वारा चिन्हित प्रतिष्ठित संगठनों/उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा किसी भी आयुष पद्धति की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है। ऐसी प्रत्येक कार्यशाला/सम्मेलन में आयुष/एलोपैथिक चिकित्सकों को ज्ञान/कौशल/सर्वोत्तम अभ्यास कराने के लिए एक खास विशेषज्ञता पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(v) आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले प्रतिष्ठित संगठनों/संघों/मंचों को 50 निजी चिकित्सा अभ्यासियों के लिए 2 दिवसीय विषय/विशेषज्ञता सीएमई आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता।

5. आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के लिए पात्रता मानदंड:

उप घटकों-विशिष्ट प्रस्तावों के प्राप्त होने पर निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को उपरोक्त घटक के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी-

- क. संस्थानों के लिए मानदंड: कम से 5 साल की स्थिति वाले संस्थान सीएमई कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
 1. आयुष में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित करने वाले संस्थान:
 - क. आयुष राष्ट्रीय संस्थान, आयुर्वेद और अन्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय।
 - ख. अन्य विश्वविद्यालयों में आयुष कॉलेज।
 - ग. आईसीएमआर, एम्स, एनआईएचएफडब्ल्यू, जेआईपीएमईआर आदि जैसे प्रसिद्ध संस्थान।
 2. आयुष में शिक्षकों के लिए सीएमई आयोजित करने वाले संस्थान:
 - क. आयुष राष्ट्रीय संस्थान, विश्वविद्यालय।
 - ख. सीसीआईएम/सीसीएच मानदंडों के अनुसार संबंधित विषय में अवसंरचना, कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने वाले पीजी संस्थान।

- ग. यूजी कॉलेज जिसे आयुष विभाग द्वारा संबंधित परिषद के मानकों के तहत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के मामले में छात्रों को कम से कम पिछले दो लगातार वर्षों में प्रवेश देने की अनुमति प्राप्त हो।
- घ. आयुष क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अन्य संस्थान/प्रतिष्ठान।
- ङ. केंद्र/राज्य सरकार संसाधन प्रशिक्षण केंद्र या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जो आयुष शिक्षण संस्थान/अस्पताल के सहयोग से आयुष प्रशिक्षण शुरू करने में सक्षम हैं।
- च. संबंधित विषय में विशेषज्ञता और ख्याति प्राप्त संस्थाएं/संगठन आदि।

3. आयुष में चिकित्सकों के लिए सीएमई आयोजित करने वाले संस्थान:

- क. आयुष राष्ट्रीय संस्थान, विश्वविद्यालय।
- ख. यूजी कॉलेज जिसे विभाग द्वारा संबंधित परिषद के मानकों के तहत छात्रों को कम से कम पिछले दो लगातार वर्षों में प्रवेश देने की अनुमति प्राप्त हो।
- ग. केंद्र/राज्य सरकार संसाधन प्रशिक्षण केंद्र या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जो आयुष शिक्षण संस्थान/अस्पताल के सहयोग से आयुष प्रशिक्षण शुरू करने में सक्षम हैं।
- घ. राज्य आयुष निदेशालय जो आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स/स्वास्थ्य कर्मियों को जिला/उप-जिला स्तरीय प्रशिक्षण देने में सक्षम हैं।
- ङ. आयुष क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अन्य संस्थान/प्रतिष्ठान।
- च. आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले प्रतिष्ठित संगठन/संघ/मंच जैसे एआईएसी, एनआईएमए आदि।

4. वेब आधारित कार्यक्रमों के रूप में आयुष में समकक्ष पुनरीक्षित पत्रिकाओं को तैयार करने और उनका संचालन करने वाले संस्थान:

- क. सरकारी/निजी संस्थान/संगठन, विश्वविद्यालय और डीमड विश्वविद्यालय जिनके पास सक्षम आयुष संकाय और अन्य तकनीकी जनशक्ति है।
- ख. कोई अन्य पंजीकृत निकाय जो लगातार तीन वर्षों से सफलतापूर्वक वैज्ञानिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा हो।
- ग. आयुष मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित स्नातकोत्तर शिक्षण/अनुसंधान संस्थान जो अंतर्वर्ती/बहिर्वर्ती/सहयोगी अनुसंधान में लगे हैं।

5. गैर-आयुष चिकित्सकों/वैज्ञानिकों और क्षमता वर्धन पाठ्यक्रमों के लिए आयुष में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम(ओटीपी) आयोजित करने वाले संस्थान

- क. आयुष और अन्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय
- ख. राष्ट्रीय संस्थान, विश्वविद्यालय कॉलेज/आयुष मंत्रालय
- ग. चयनित पीजी संस्थान।
- घ. अनुसंधान परिषदों के चयनित केंद्रीय संस्थान।
- ङ. आयुष विभाग वाले एलोपैथी संस्थान।
- च. आयुष मान्यता प्राप्त संस्थान, अधिमानतः शिक्षण/अनुसंधान संस्थान जिनके पास प्रबुद्ध संकाय और अच्छी ऑडियो-वीडियो-इंटरनेट-सुविधाएं हैं।

6. आयुष और एलोपैथी चिकित्सकों के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम(ओटीपी) आयोजित करने वाले संस्थान:
 - क. योग और प्राकृतिक चिकित्सा में राष्ट्रीय और सरकारी संस्थान।
 - ख. योग विभाग के साथ विश्वविद्यालय।
 - ग. निजी योग और/या प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, अधिमानतः शिक्षण/अनुसंधान संस्थान जो आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जिनके पास प्रबुद्ध संकाय, नैदानिक/अनुसंधान इकाइयां हैं।
7. योग/प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षकों/प्रशिक्षकों/चिकित्सकों के लिए सीएमई कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान।
 - क. योग और प्राकृतिक चिकित्सा के राष्ट्रीय और सरकारी संस्थान।
 - ख. योग विभाग के साथ विश्वविद्यालय।
 - ग. निजी योग और/या प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, अधिमानतः शिक्षण/अनुसंधान संस्थान जो आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जिनके पास प्रबुद्ध संकाय, नैदानिक/अनुसंधान इकाइयां हैं।
8. आयुष शिक्षकों और चिकित्सकों को प्रबंधन प्रशिक्षण देने वाले संस्थान:
 - क. योग्य और अनुभवी स्टाफ वाले प्रतिष्ठित सरकारी/निजी प्रबंधन संस्थान।
9. आयुष पद्धतियों की वैज्ञानिक समझ और उनके संवर्धन के लिए अनुसंधान एवं विकास के मौजूदा रुझानों, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और भावी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान।
 - क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय के तहत अनुसंधान परिषद।
 - ख. ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान जो अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगे हैं और जिनके पास आईआईटी, आईआईएससी, बंगलोर आदि जैसी पर्याप्त सुविधाएं हैं।
 - ग. ऐसे अन्य प्रतिष्ठित संस्थान जो मौलिक विज्ञान में अग्रिम अनुसंधान में लगे हैं।
 - घ. सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं जो जैव चिकित्सा या संबंधित क्षेत्र या प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों में काम कर रही हैं।

ख. सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए मानदंड:

1. शिक्षकों के लिए सीएमई:
 - i) जाने-माने शिक्षक/शोधकर्ता/चिकित्साभ्यासी जो आयुष के संबंधित विषय/विशेषज्ञता में 10 वर्ष के शिक्षण/नैदानिक/अनुसंधान अनुभव के साथ स्नातकोत्तर योग्यता रखता हो और संप्रेषण में दक्ष हो।
 - ii) प्रतिष्ठित प्रकाशनों का श्रेय रखने वालों को वरीयता।

- iii) गैर-चिकित्सीय विषयों के मामले में, संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष के अनुभव के साथ पीजी योग्यता रखने वाले या जैव-विज्ञान, जैव-सांख्यिकीय आदि में 5 वर्ष के अनुभव के साथ पीएचडी की योग्यता रखने वाले।
2. चिकित्सकों के लिए सीएमई/ गैर-आयुष चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के लिए आयुष में ओटीपी/आयुष और एलोपैथी चिकित्सकों के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ओटीपी: ऐसे शिक्षक/निजी चिकित्साभ्यासी जो कम से कम 15 वर्ष के नैदानिक अनुभव के साथ स्नातक की डिग्री रखते हों और संबंधित विषय/विशेषज्ञता में ख्याति प्राप्त हों।
 3. टीओटी: राष्ट्रीय संस्थानों और स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों, आयुष कॉलेजों के प्रमुख, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, आयुष मंत्रालय के तकनीकी अधिकारी और आयुष के वरिष्ठ, प्रख्यात चिकित्साभ्यासी।
 4. पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/प्रशिक्षकों/चिकित्सकों के लिए सीएमई: ऐसे जाने-माने शिक्षक/शोधकर्ता/चिकित्साभ्यासी जो आयुष में संबंधित विषय/विशेषज्ञता में 5 वर्ष के शिक्षण/नैदानिक/अनुसंधान/नर्सिंग अनुभव के साथ पीजी योग्यता रखते हों और संप्रेषण में दक्ष हों।
 5. प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम: प्रतिष्ठित संस्थानों के योग्य और अनुभवी संकाय।
 6. आयुष पद्धतियों की वैज्ञानिक समझ और संवर्धन के लिए अनुसंधान और विकास में वर्तमान रुझानों, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

ऐसे जाने-माने शिक्षक (अधिमानत: पीजी गाइड)/एएसयू एंड एच पद्धतियों के शोधकर्ता जिन्हें शिक्षण/अनुसंधान का कम से 5 साल का अनुभव हो।

ग. प्रशिक्षुओं के चयन के लिए मानदंड:

निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जा सकती है:

- i. प्रशिक्षु जिन्होंने सीएमई की कम संख्या में भाग लिया है।
- ii. सेवा में वरिष्ठता के आधार पर प्रशिक्षु।

6. फंडिंग पैटर्न

परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित संस्थाओं/संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार प्रस्ताव के अनुमोदन पर संस्थान को कार्यक्रम के लिए निधि जारी की जाएगी:

(i) आयुष शिक्षकों/चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए 6 दिवसीय सीएमई/क्षमता निर्माण कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	ग्राह्य धनराशि
1	बाहरी प्रशिक्षुओं का प्रति दिन का भोजन और आवास शुल्क (अधिकतम-7 दिन)	2400 रुपये प्रति व्यक्ति

2	स्थानीय प्रशिक्षुओं का प्रति दिन का भोजन शुल्क	350 रुपये प्रति व्यक्ति
3	बाहरी विशेषज्ञों का प्रति दिन का भोजन और आवास शुल्क (अधिकतम 2 दिन)	4100 रुपये प्रति व्यक्ति
4	स्थानीय विशेषज्ञों का प्रति दिन का भोजन शुल्क	350 रुपये प्रति व्यक्ति
5	बाहरी प्रशिक्षुओं का यात्रा व्यय	वास्तविक किराया या एसी 2 टियर क्लास तक का रेल किराया, जो भी कम हो।
6	बाहर के विशेषज्ञों का यात्रा खर्च	वास्तविक किराया या एसी 2 टियर क्लास तक का रेल किराया/इकोनॉमी क्लास हवाई किराया
7	सिद्धहस्त व्यक्तियों को मानदेय	2500 रुपये प्रति सत्र
8	मेजबान संस्थान के सहायक कर्मचारियों को मानदेय।	10000 रुपये, जो शामिल स्टाफ सदस्यों के बीच बांटे जाएंगे
9	प्रशिक्षण सामग्री	प्रति प्रशिक्षु/ सिद्धहस्त व्यक्ति 1000 रुपये तक
10	संस्थागत सहायता के लिए समेकित राशि	25,000 रुपये
11	आकस्मिकताओं के लिए समेकित राशि	25,000 रुपये
12	व्यावहारिक प्रदर्शनों में उपभोग्य सामग्रियों के लिए समेकित राशि	10,000 रुपये

कुल प्रावधान 10.00 लाख रुपये तक सीमित है।

(ii) पैरामेडिक्स/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/प्रशिक्षकों/चिकित्सकों के लिए 6 दिवसीय सीएमई:

क्र.सं.	विवरण	ग्राह्य धनराशि
1	बाहरी प्रशिक्षुओं का प्रति दिन का भोजन और आवास शुल्क (अधिकतम-7 दिन)	Rs.1550
2	स्थानीय प्रशिक्षुओं का प्रति दिन का भोजन शुल्क	300 रुपये प्रति व्यक्ति
3	बाहरी विशेषज्ञों का प्रति दिन का भोजन और आवास शुल्क (अधिकतम 2 दिन)	3150 रुपये प्रति व्यक्ति
4	स्थानीय विशेषज्ञों का प्रति दिन का भोजन शुल्क	300 रुपये प्रति व्यक्ति
5	बाहरी प्रशिक्षुओं का यात्रा व्यय	वास्तविक किराया या एसी 3टियर क्लास तक का रेल किराया, जो भी कम हो।
6	बाहर के विशेषज्ञों का यात्रा खर्च	वास्तविक किराया या एसी 2 टियर क्लास तक का रेल किराया/इकोनॉमी क्लास हवाई किराया
7	सिद्धहस्त व्यक्तियों को मानदेय	2000 रुपये प्रति सत्र
8	मेजबान संस्थान के सहायक कर्मचारियों को मानदेय।	7000 रुपये, जो शामिल स्टाफ सदस्यों के बीच बांटे जाएंगे
9	प्रशिक्षण सामग्री	प्रति प्रशिक्षु/ सिद्धहस्त व्यक्ति 500 रुपये तक
10	संस्थागत सहायता के लिए समेकित राशि	15,000 रुपये
11	आकस्मिकताओं के लिए समेकित राशि	15,000 रुपये
12	व्यावहारिक प्रदर्शनों में उपभोग्य सामग्रियों के लिए समेकित राशि	10,000 रुपये

कुल प्रावधान प्रति कार्यक्रम 7.00लाख रुपये तक सीमित है।

- (iii) **सीएमई के पात्र सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए आयुष में 6 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम:**

आयुष शिक्षकों के लिए सीएमई कार्यक्रम में लागू तरीके से मेजबान संस्थानों को सहायता दी जाएगी। प्रशिक्षुओं और सिद्धहस्त व्यक्तियों को पर द्वारा एसी 2 टियर क्लास तक के रेल किराए/एयर इंडिया के अधिकतम इकोनॉमी क्लास तक के किराए पर यात्रा करने की अनुमति है। आयुष शिक्षकों/चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के सीएमई कार्यक्रम में लागू होने वाले अन्य व्यय के लिए सहायता दी जाएगी।

- (iv) **आयुष प्रशासकों/विभागों/संस्थानों के प्रमुखों को प्रबंधन/आईटी में 3 दिवसीय/5 दिवसीय प्रशिक्षण:**

10.00लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता

पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और प्रस्ताव में अनुमानित व्यय परियोजना मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के अध्यक्षीन होगा जिसके बाद परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। स्वीकृति समिति की सिफारिशों के अनुसार निधि जारी की

जाएगी। वित्तीय सहायता अनुकूलित सीएमई कार्यक्रमों में उल्लिखित विवरणों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

- (v) वेब-आधारित (ऑन लाइन) शैक्षिक कार्यक्रम/ संबंधित क्षेत्र में जानकारी रखने वाले संगठनों को सहायता:

अधिकतम 2 साल के लिए 100.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता

पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और प्रस्ताव में अनुमानित व्यय परियोजना मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के अध्यक्षीन होगा जिसके बाद परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। स्वीकृति समिति की सिफारिशों के अनुसार निधि जारी की जाएगी।

क्र.सं.	विवरण	धनराशि (रुपए लाख में)
1.	सामग्री विकास + हार्डवेयर आवश्यकता(कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, एक्टिव स्पीकर (2-वे) प्रकार, माइक्रोफोन और अन्य आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आदि) स्टोरेज हेतु हार्डवेयर (क्लाउड) या सर्वर एवं स्टोरेज की खरीद वेब पोर्टल का विकास	50.00 लाख रुपए तक
2.	प्री-प्रोडक्शन विशेषज्ञों की बैठकें, भोजन, आवास, टीए और मानदेय।	10.00 लाख रुपए तक
3.	श्रमशक्ति 2 सलाहकार (आईटी/डोमेन विशेषज्ञ) = 50000x12x2= 12,00,000 रुपये 1 वेब डेवलपर = 30,000x12x1= Rs.3,60,000/- 1कार्यालय सहायक/डीईओ = 20000x12x1= 2,40,000 रुपये	36.00 लाख रुपए तक
4.	आकस्मिक/विविध	4.00 लाख रुपए तक
	कुल	100.00 लाख रुपए

कुल प्रावधान प्रति परियोजना 100.00 लाख रुपये तक सीमित है।

(vi) सीएमई के लिए राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय कार्यशालाएं/सम्मेलन:

10.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता

ऐसे आयुष राष्ट्रीय संस्थानों, आयुष और अन्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों, आयुष मान्यता प्राप्त संस्थानों/संगठनों, जिनके पास अच्छी ऑडियो-वीडियो-इंटरनेट-वीडियो कांफ्रेंसिंग-रिकार्डिंग और स्टूडियो सुविधाएं हैं साथ ही जनशक्ति और संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता है, को व्यय के ब्यौरे के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिनका मूल्यांकन और अनुमोदन स्वीकृति समिति द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता अनुकूलित सीएमई कार्यक्रमों में उल्लिखित विवरणों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(vii) आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे प्रतिष्ठित संगठन/संघों/फोरम, जिन्हें ऐसे प्रशिक्षणों के आयोजन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है, को 50 निजी चिकित्सा अभ्यासियों के लिए 2 दिवसीय विषय-विशेषज्ञता सीएमई आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता।

क्र.सं.	विवरण	ग्राह्य धनराशि
1	दो दिनों के लिए दोपहर का भोजन, नाश्ता और चाय	प्रति प्रशिक्षु प्रतिदिन 700 रुपये
2	सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए मानदेय	2500 रुपये प्रति सत्र (कुल 8 सत्र)
3	सिद्धहस्त व्यक्तियों का यात्रा व्यय	वास्तविक किराया या एसी 2 टियर क्लास तक का रेल किराया, जो भी कम हो
4	संस्थागत समर्थन	10,000 रुपये
5	आकस्मिकता	15,000 रुपये

कुल प्रावधान प्रति कार्यक्रम 1.50 लाख तक सीमित है.

योजना के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता

क्र.सं;	
1.	02 परियोजना प्रबंधक/वरिष्ठ परियोजना परामर्शदाता (तकनीकी और प्रबंधन) (अर्थात एक के पास किसी आयुष पद्धति में डिग्री हो और दूसरे के पास एमबीए की डिग्री) साथ में 75,000 रुपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक सहित न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। (परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक/संशोधन)।
2.	02 डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) जिनके पास स्नातक डिग्री और 03 साल का अनुभव है, अधिमानतः सरकारी क्षेत्र में 20000 रुपये के पारिश्रमिक के साथ (परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक/संशोधन)।

3.	5 प्रतिशत की दर से या आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि।
----	--

7. योजना घटकों हेतु आवेदन और उनके कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश:

इस योजना के तहत परिकल्पित विभिन्न कार्यक्रमों के समर्थन में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

- i) इच्छुक संस्थान, आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की अनुसूची और विवरण देकर आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के मॉड्यूल और सिद्धहस्त व्यक्तियों की सूची उनकी योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता सहित आवेदन (संलग्नक-क) के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- ii) शिक्षकों/चिकित्सकों/पैरामेडिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सीएमई में न्यूनतम 20 प्रतिभागियों का नामांकन होना चाहिए लेकिन 30 से अधिक नहीं। मेजबान संस्था के एक से अधिक प्रशिक्षु कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे और वे प्रशिक्षण सामग्री और बोर्डिंग को छोड़कर किसी वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।
- iii) सभी चिकित्साभ्यासियों के पास संबंधित चिकित्सा अधिनियमों में निहित योग्यता होनी चाहिए। योग/प्राकृतिक चिकित्सा के मामले में, प्रशिक्षु विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों और डिग्री कॉलेजों में कार्यरत नियमित शिक्षक होंगे और जिनके पास नियमित आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होगा।
- iv) आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त आयुष संस्थानों/अस्पतालों/औषधालयों में कार्यरत योग्य पैरामेडिक्स/अनुदेशक/चिकित्सक संबंधित सीएमई के लिए पात्र हैं।
- v) सभी 6 दिवसीय सीएमई और अन्य एचआरडी कार्यक्रम लगातार छः कार्य दिवसों में आयोजित किए जाएंगे।
- vi) 6 दिवसीय सीएमई/टीओटी/ओटीपी के लिए वित्तीय सहायता 10.00 लाख रुपये तक सीमित है। 6 दिवसीय कार्यक्रम में 9.00 लाख रुपये का अग्रिम जारी किया जाएगा और खाते जमा करने के बाद, जरूरत के अनुसार शेष राशि जारी की जाएगी।
- vii) पैरामेडिकल्स/योग और प्राकृतिक चिकित्सा कर्मियों (शिक्षकों के अलावा) के 6 दिवसीय सीएमई के मामले में, प्रति कार्यक्रम 7.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता है। 600 लाख रुपये का अग्रिम जारी किया जाएगा और खाते जमा करने के बाद, जरूरत के अनुसार शेष राशि जारी की जाएगी।
- viii) भागीदारी प्रमाण पत्र पूर्ण उपस्थिति पर ही जारी किया जाएगा।
- ix) टीए और यात्रा डीए का भुगतान योजना की स्वीकार्यता या वास्तविक के अनुसार, जो भी कम हो, कार्यक्रम के अंत में ही किया जाना चाहिए। सिद्धहस्त व्यक्तियों को हवाई किराया देने के मामले में, एयर इंडिया के अधिकतम इकोनॉमी क्लास तक के किराए पर यात्रा करने की अनुमति है। जहां लागू हो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित किराए का उपयोग किया जा सकता है।
- x) सीएमई कार्यक्रम की अवधि में यात्रा का समय शामिल नहीं होगा।

- xi) प्रशिक्षुओं को यात्रा के दौरान टीए और खाने के बिलों को छोड़कर किसी भी राशिका भुगतान नहीं किया जाएगा जो 300 रुपये से अधिक नहीं है। सिद्धहस्त व्यक्ति टीए और मानदेय के लिए पात्र हैं।
- xii) आयुष चिकित्सकों के लिए सीएमई कार्यक्रमों में, निजी चिकित्सकों को भी कुल 30 प्रतिशत से अधिक की सीमा तक ही शामिल किया जा सकता है।
- xiii) कार्यक्रम की अनुसूची तैयार करने के साथ अनुदान जारी करने के दो महीने के भीतर कार्यक्रम का संचालन शुरू होना चाहिए और प्रशिक्षुओं के मनोनयन के लिए इसे पहले से ही संस्थानों और राज्य निदेशालयों को परिचालित किया जाना चाहिए।
- xiv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षेत्र में विशेषज्ञों का अनुभवात्मक ज्ञान, अनुसंधान निष्कर्ष, वर्तमान घटनाक्रम, शिक्षकों के लिए सीएमई में परीक्षा प्रणाली (पेपर सेटिंग, मूल्यांकन आदि) में सुधार पर शिक्षण पद्धति और प्रशिक्षण मॉड्यूल पर अधिक जोर और सीएमई कार्यक्रम के विषय से संबंधित वर्तमान रुझानों का मॉड्यूल में उल्लेख किया जाना चाहिए।
- xv) सिद्धहस्त व्यक्ति: दिए गए मॉड्यूल के अनुसार 6 दिवसीय सीएमई/ओटीपी में संबंधित विशेषज्ञता के बारह विशेषज्ञ (एक ही कॉलेज/राज्य से चार और आठ बाहरी विशेषज्ञ)। आयुष मंत्रालय और अनुसंधान परिषदों के विशेषज्ञों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, बुलाया जाना चाहिए।
- xvi) प्रशिक्षुओं को एक वर्ष में सीएमई के दो कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति है। प्रत्येक संसाधन व्यक्ति को वर्ष में अधिकतम चार सीएमई में भाग लेने की अनुमति है और प्रशिक्षुओं और संसाधन व्यक्तियों के मामले में प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि को सीसीआईएम/सीसीएच यात्राओं/निरीक्षणों के दौरान भी ड्यूटी पर और लागू माना जाना है।
- xvii) सभी प्रकार के सीएमई के लिए प्रशिक्षु/संसाधन व्यक्ति किसी भी राज्य से लिए जा सकते हैं, बतौर वर्ष निर्धारित उपस्थिति की सीमा की शर्त के अधीन।
- xviii) आयुष शिक्षण संस्थानों/अस्पतालों/राज्य निदेशालयों को संबंधित संस्थानों/रोगी देखभाल सुविधाओं में प्रशिक्षुओं का उपयोग सीएमई में प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त कौशल और आयुष सुविधाओं में तर्कसंगत तैनाती के माध्यम से भी करना चाहिए।
- xix) किसी भी सरकारी संस्थान/विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशिक्षुओं/संसाधन व्यक्ति को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि यदि वे सीएमई कार्यक्रम से प्रतिपूर्ति कर रहे हैं तो वे सीएमई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने संबंधित संस्थानों/विभागों से किसी भी टीए/डीए या किसी अन्य वित्तीय लाभ का दावा नहीं करेंगे।
- xx) राज्य सरकारों को आवश्यक अवसंरचना को सुसज्जित करने के लिए ऐसे निजी संस्थानों/अस्पतालों को अनुदान स्वीकृत करना चाहिए ताकि आयुष कामकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उपयोग किया जा सके।
- xxi) सीएमई कार्यक्रम की संरचना के रूप में के रूप में किया जाएगा-

(क). प्रत्येक दिन चार सत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक सत्र ९० मिनट होगा। प्रत्येक सत्र में ऑडियो-विजुअल एड्स और 60 मिनट के व्यावहारिक प्रदर्शन/हाथों

पर प्रशिक्षण का उपयोग करके 30 मिनट का व्याख्यान होगा। चिकित्सा अधिकारियों को हाथों-हाथ प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक बाहरी/आंतरिक विशेषज्ञ सीएमई में एक दिन में दो थ्योरी/प्रेक्टिकल सेशन डिलीवर करेगा।

(ग) प्रत्येक सिद्धांत और व्यावहारिक सत्र के बाद आवश्यक स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न और उत्तर दिए जाएंगे।

(घ) कार्यक्रम की शुरुआत में सभी प्रतिभागियों को प्रस्तुतियों, सीडी आदि की पठन सामग्री और प्रतियां वितरित की जानी चाहिए।

- xiii) कार्यक्रम आयोजित करने के इच्छुक संस्थान मॉड्यूल डिजाइन कर सकते हैं और अनुमोदन के लिए आवेदन सहित इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इन मॉड्यूलों में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षकों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए पहले से तैयार मॉड्यूल/ पैकेज प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों में पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
- xiv) प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम, मेजबान संस्थान (संस्थानों) द्वारा तैयार किया जाएगा।
- xv) वैब-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और/अथवा सीएमई पत्रिका/समस्तर समीक्षित पत्रिका तैयार करने और चलाने के इच्छुक संस्थानों द्वारा परियोजना क्रियान्वयन समय-सारणी और समय अवधि दर्शाते हुए पूरे तकनीकी और वित्तीय ब्यौरे के साथ प्रस्ताव भेजना अपेक्षित है।
- xvi) नवाचारी पहल का प्रस्ताव योजना के विस्तार और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सभी तकनीकी और वित्तीय ब्यौरे के साथ तैयार किया जाना चाहिए।
- xvii) सीएमई के अनुमोदन/अनुदान की संस्वीकृति तथा अनुमोदित कार्यक्रम/कार्यकलाप के क्रियान्वयन से पूर्व तथा संस्वीकृत मदों से इतर पर किया गया खर्च प्रतिपूर्ति के अधीन नहीं होगा।
- xviii) व्यय की संस्वीकृत मदों के लिए पुनर्विनियोजन 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- xix) संस्थाओं/विभागों/संगठनों के प्रमुख व्यय को योजना पैटर्न के अनुसार पूरा करेंगे।
- xx) सीएमई कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान/संगठन आवश्यक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम की फोटो लें और उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों सहित आरएवी को प्रस्तुत करें।
- xxi) परियोजना संस्वीकृत समिति विशेष श्रेणी के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार के साथ-साथ योग्यता अनुसार मामला दर मामला आधार पर अन्य मामलों में भी पात्रता मानदंड में छूट दे सकती है।

- xxii) सीएमई कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, अनुदान के भुगतान के लिए एक माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली को मेजबान संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर करके अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं।
- (क) निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक-ख) में इस आशय का प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र कि जिस प्रयोजनार्थ अनुदान संस्वीकृत किया गया था उसके लिए; अथवा भारत सरकार की जीएफआर नियमावली के अनुसार उपयोग किया गया है।
- (ख) निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक-ग) में लेखा परीक्षित लेखा विवरण, जिसमें सहायता अनुदान और निधियन पैटर्न के अनुसार मद-वार व्यय तथा प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो, दर्शाया गया हो;
- (ग) इस आशय का प्रमाण पत्र कि संगठन ने इसी प्रयोजनार्थ केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा अन्य सरकारी/गैर सरकारी एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है;
- (घ) उपलब्धि-सह-कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (संलग्नक-घ) जिसमें कार्य जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया गया; तरीका जिस प्रकार उपयोग किया गया; और किस प्रकार अनुदान प्रतिभागियों/संस्थान के कार्य-निष्पादन में सुधार में सहायक हुआ, का उल्लेख किया गया हो;
- (ङ) सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रत्येक प्रशिक्षक से अलग से सीलबंद लिफाफे में प्रपत्र (संलग्नक-ङ) में फीडबैक रिपोर्ट;
- (च) प्रशिक्षकों का नाम व पता दर्शाने वाला विवरण जो संस्थान/कॉलेज के प्रमुख द्वारा सत्यापित होना चाहिए कि सभी प्रशिक्षक पंजीकृत आयुष चिकित्साभ्यासी थे;
- (छ) कार्यक्रम में भाग लेने वाले सिद्धहस्त व्यक्तियों के नाम व पतों सहित उनकी योग्यता, विषय में अनुभव आदि दर्शाने वाले जीवनवृत सहित एक विवरण ताकि जब कभी आवश्यकता हो, इनका उपयोग किया जा सके;
- (ज) अनुदान की खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई हो, को वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आयुष मंत्रालय को वापस करनी होगी। ;
- (झ) सभी मूल रसीदें/वाऊचर आयोजनकर्ता संस्थान को किसी प्रकार के लेखा परीक्षा जांच के लिए 5 वर्ष की अवधि तक रखने होंगे।

xxxi) सचिव (आयुष) वितीय सलाहकार के परामर्श से योग्यता के आधार पर मामला दर मामला योजना के दिशा निर्देशों में किसी प्रकार की छूट की मंजूरी दे सकते हैं।

8. आवदेन किस प्रकार करे:

शिक्षकों/चिकित्सकों के लिए अनवरत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अथवा अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन, प्रपत्र में भरकर किसी भी निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है-

निदेशक (सीएमई योजना)

आयुष मंत्रालय

भारत सरकार

आयुष भवन

बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स,

आईएनए, नई दिल्ली-110 023.

ई-मेल: - ravidyapeethdelhi@gmail.com एवं cme-ravdl@gov.in

निदेशक

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

धन्वंतरी भवन,

रोड नं-66, पंजाबी बाग (पश्चिम)

नई दिल्ली-110 026.

फोन. 011-25228548/25229753

सीएमई से संबंधित पूरा विवरण www.ravdelhi.nic.in और www.ayush.gov.in पर देखा जा सकता है।

9. योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्ताव संयुक्त सचिव (आयुष)/सलाहकार की अध्यक्षता में आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों वाली परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन किए जाने के अधीन होंगे और तत्पश्चात विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी) को भेजे जाएंगे: -

परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)

1. संयुक्त सचिव/सलाहकार (आयुष) - अध्यक्ष
2. संबंधित पद्धति के सलाहकार - सदस्य
3. योजना के प्रभारी निदेशक - सदस्य
4. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ - सदस्य सचिव

परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी)

1. सचिव (आयुष) - अध्यक्ष
2. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एफए) अथवा उसका नामिति - सदस्य
3. संयुक्त सचिव/सलाहकार (आयुष) - सदस्य
4. संबंधित पद्धति के सलाहकार - सदस्य
5. योजना के प्रभारी निदेशक - सदस्य
6. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ - सदस्य सचिव

आयुष के शिक्षकों/चिकित्सकों/पराचिकित्सकों अथवा गैर आयुष पद्धतियों के चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए-सीएमई/ओटीपी /अन्य कार्यक्रम हेतु आवेदन

1.	संस्थान का नाम	
2.	पता/ टेलीफोन नं./ फैंक्स नं./ ई-मेल	
3.	संस्थान की प्रकृति	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी
4.	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज: इस आशय का प्रमाण पत्र कि संगठन ने इसी प्रयोजन अथवा क्रियाकलाप के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग अथवा किसी गैर सरकारी संगठन से अनुदान प्राप्त नहीं किया है अथवा उसके लिए आवेदन नहीं किया है।	
5.	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज (सोसायटी अधिनियम के तहत स्थापित निजी कॉलेजों के लिए): संगम नियमावली उपनियम, लेखों के लेखापरीक्षित विवरण, आय और व्यय के स्रोत और पैटर्न की प्रतियां इत्यादि।	
6.	स्थापना वर्ष	
7.	विभागों का विवरण	
8.	कार्यक्रम में भाग लेने वाले संस्थान के संकाय के विवरण सहित अर्हता, नियुक्ति की तारीख और विषय में अनुभव की अवधि (अलग से कागज पर लिखा जा सकता है)	
9.	ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का पूर्व अनुभव (विवरण)	
10.	इस योजना के अंतर्गत पूर्व के अनुदानों, यदि कोई हो, का विवरण (आरओटीपी और सीएमई)	
11.	क्या पूर्व में प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को मंजूरी दी गई। यदि हां, तो प्रतियां संलग्न की जाएं।	
12.	क्या पूर्व में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से किसी योजना के अंतर्गत कोई अन्य अनुदान प्राप्त किया था। यदि हां, तो उसका ब्यौरा। ऐसे अनुदानों के लिए क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य अपेक्षित दस्तावेज लंबित/देय है अथवा भेजे गए हैं।	
13.	कार्यक्रम की संख्या जिनके लिए आवेदन किया गया	
14.	कार्यक्रमों का विवरण अर्थात् विषय इत्यादि	
15.	विवरण सहित अपेक्षित राशि (अनुकूलित सीएमई कार्यक्रमों को छोड़कर)	
16.	कार्यक्रम के संचालन के लिए विशेषज्ञों/सिद्धस्थ	

<p>व्यक्तियों के नाम के साथ-साथ उनकी वर्तमान तैनाती, जन्म तिथि और विषय, जिसके लिए आमंत्रित किया गया है, में योग्यता और अनुभव, टेलीफोन नं., ई-मेल, मोबाइल आदि सहित प्रस्तावित सीएमई का मॉड्यूल (अलग से कागज पर लिखा जा सकता है)</p>	
--	--

संस्थान/संघ/संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम: _____

पदनाम _____

डाक पता _____

टेली./फैक्स नं. एवं ई-मेल _____

मोबाईल नं. _____

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है किदिनांक..... के संस्वीकृति पत्र संख्या द्वारा..... के पक्ष में वर्ष, के दौरान रुपए (केवलरुपए) संस्वीकृतसहायता अनुदान के अग्रिम में से रुपए (केवल.....रुपए) की राशि का उपयोग..... पर सीएमई आयोजित करने के लिए किया गया जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था।

प्रमाणित किया जाता है कि हमने संतुष्टि कर ली है कि जिन शर्तों पर अनुदान सहायता संस्वीकृत की गई थी उन्हें विधिवत पूरा कर लिया गया है/पूरा किया जा रहा है और हमने निम्नलिखित जांच की है ताकि पता लग सके कि राशि का उपयोग वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था। संस्थान ने योजना से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया है।

की गई जांच के प्रकार

1. अलग-अलग वाऊचरों की जांच।
2. खर्चों के लेजर खाते की जांच।
3. यह देखने के लिए की राशि का वास्तव में भुगतान किया गया है, कैश पुस्तिका और बैंक पुस्तिका की जांच।
4. किए गए कुल वितरण की जांच।
5. जांच की गई कि भुगतान संबंधित उपर्युक्त कार्यक्रमों के संबंध में है।
6. सभी दस्तावेजों की जांच।
7. भुगतान की सूची तैयार की गई (संलग्नक के अनुसार)।

यह प्रमाण पत्र हमारे सामने प्रस्तुत की गई पुस्तकों और रिकार्डों के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जारी किया गया है।

संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर और सील
(स्याही में)

दिनांक:

नाम:

चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी लेखा परीक्षक
(स्याही में)

दिनांक:

नाम:

कंपनी की पंजीकरण संख्या

हस्ताक्षरकर्ता सीएमई की सदस्यता संख्या

खातों का विवरण

संस्थान का नाम:

कार्यक्रम का नाम: सीएमई/ओटीपी/..... कार्यक्रम

संस्वीकृति आदेश संख्या और तिथि:

कार्यक्रम की तिथियां:

क्र.सं.	विवरण	खर्च
1.	बाहर से आए प्रशिक्षुकों का आवास और भोजनपर खर्च	
2.	स्थानीय प्रशिक्षुकों के लिए आवास	
3.	बाहर से आए विशेषज्ञों का आवास और भोजनपर खर्च	
4.	स्थानीय विशेषज्ञों के लिए आवास	
5.	प्रशिक्षुकों का यात्रा खर्च	
6.	बाहर से आए विशेषज्ञों का यात्रा खर्च	
7.	सिद्धस्थ व्यक्तियों को मानदेय	
8.	मेजबान संस्थान के सहायक स्टाफ को मानदेय	
9.	प्रशिक्षण सामग्री पर खर्च	
10.	संस्थानिक सहायता के लिए समेकित राशि	
11.	आकास्मिक के लिए समेकित राशि	
12.	व्यवहारिक प्रदर्शन के लिए उपभोग्य हेतु समेकित राशि (जहां लागू हो)	
	योग	
	प्रयोग नहीं किया गया अनुदान, यदि कोई हो	

संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर और सील

चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी लेखा परीक्षक

(स्याही में)

(स्याही में)

दिनांक:

दिनांक:

नाम:

नाम:

कंपनी की पंजीकरण संख्या

हस्ताक्षरकर्ता सीए की सदस्यता संख्या

उपलब्धि-सह-कार्यनिष्पादन रिपोर्ट

इस संस्थान को वर्ष के दौरान विषय परको आयोजित दिवसीय शिक्षक के सीएमई/चिकित्सकों के लिए सीएमई/प्रबंधन कार्यक्रम का एक कार्यक्रम संस्वीकृत किया गया था।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक के पत्र संख्या..... द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में दिनांक के डिमांड ड्रॉफ्ट संख्या के माध्यम से रुपए (.....रुपए) संस्वीकृत और जारी किए गए थे। अग्रिम में से रुपए (.....रुपए) की राशि उस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई जिसके लिए संस्वीकृत की गई थी और रुपए (.....रुपए) की शेष राशि दिनांक..... के डिमांड ड्रॉफ्ट संख्या के माध्यम से भेजी गई। भुगतान करने में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया:

उपलब्धि-सह-कार्यनिष्पादन के संदर्भ में कार्यक्रम का परिणाम निम्नानुसार है:-

1. जिस प्रकार इसका उपयोग किया गया : -
2. अनुदान द्वारा प्रतिभागियों/संस्थान के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने में किस प्रकार सहायता मिली।

हस्ताक्षर और सील
(संस्थान के अध्यक्ष)

फीड-बैक

(प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षक द्वारा भरा जाए और बाद में सील बंद लिफाफे में आयोजनकर्ता संस्थान को दिया जाए)

क्र.सं.	विवरण	
1.	संस्थान का नाम और पता:	
2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	
3.	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि	सेतक
4.	भाग लेने वाले प्रशिक्षकों की संख्या	
5.	कार्यक्रम की उपयोगिता	बेहद उपयोगी/उपयोगी/प्रासंगिक नहीं
6.	संस्थान में उपलब्ध अवसंरचना: (संबंधित विभाग में जहां सीएमई आयोजित की गई):	
7.	कार्यक्रम का स्थान (हॉल, हवादार, रोशनी आदि का ब्यौरा):	
8.	श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग, क्या पर्याप्त था?	
9.	क्या समय सारणी का पालन किया गया?	
10.	क्या व्यवहारिक प्रदर्शन आयोजित किया गया/व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान किया गया (जहां लागू हो):	
11.	सिद्धहस्त व्यक्तियों का मूल्यांकन	

क्र.सं.	संकाय/सिद्धस्थ व्यक्तियों के नाम	विषय और विषय वस्तु की प्रासंगिकता	अभिव्यक्ति/प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता स्कोर (0-10)	प्रयोज्यता	दी गई कोई नई सूचना	संकाय का समग्र मूल्यांकन स्कोर (0-10)
i)						
ii)						
iii)						
iv)						
v)						
vi)						
vii)						

viii)						
ix)						
x)						
xi)						
xii)						

संकाय, प्रस्तुतीकरण आदि पर कोई विशेष टिप्पणी/सुझाव:	
12. आवास और अन्य सुविधाओं के लिए व्यवस्था	
13. कमियां, यदि कोई हो:	
14. भविष्य में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए कोई सुझाव	
15. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का समग्र मूल्यांकन (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/औसत/खराब):	
16. कार्यक्रम में भाग लेने के बाद ज्ञान में वृद्धि हुई।	हां/नहीं

प्रशिक्षक के हस्ताक्षर.....

नाम

पूरा डाक पता.....

.....

.....

ई-मेल:

फोन/मोबाइल:

नोट: कोई भी प्रशिक्षक आयोजनकर्ता संस्थान को फीड-बैक प्रपत्र में भरकर भेजने के साथ-साथ कोई टिप्पणी/सुझाव निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धन्वतरी भवन रोड नं. 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026 को डाक द्वारा भेज सकता है अथवा ravidyapeethdelhi@gmail.com पर ई-मेल कर सकता है।

एजेंसी पंजीकरण प्रपत्र

1	पंजीकरण का प्रकार:
	1. केंद्रीय सरकार 2. केंद्रीय सरकार पीएसयू 3. राज्य सरकार पीएसयू 4. सांविधिक निकाय 5. स्थानीय निकाय 6. न्यास 7. पंजीकृत सोसाइटी (एनजीओ) 8. निजी क्षेत्र की कंपनियां 9. पंजीकृत सोसाइटी (सरकारी स्वायत्त निकाय) 10. व्यक्तिगत 11. अंतर्राष्ट्रीय संगठन
2	संगठन का नाम:
3	पंजीकरण की तिथि (तिथि/माह/वर्ष):-
4	पंजीकरण की संख्या अथवा अधिनियम:-
5	पंजीकरण प्राधिकरण:
6	पंजीकरण का राज्य (राज्य का नाम):
7	टीआईएन/टीएएन संख्या:
8	पता पंक्ति 1: पता पंक्ति 2: पता पंक्ति 3:
9	शहर:
10	राज्य:
11	जिला:
12	पिन कोड:
13	संपर्क व्यक्ति: निदेशक / डीन / प्राध्यापक / कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)
14	संपर्क व्यक्ति का नाम:-
15	फोन:
16	मोबाइल नं.:
17	फैक्स:
18	ईमेल:
19	युनीक एजेंसी कोड:
20	योजना:
21	बैंक का नाम (निर्दिष्ट करें):
22	पता:
23	शाखा:

24	खाता संख्या	
25	बैंक के अनुसार संगठन का नाम	
26	एमआईसीआर कोड:	

प्राध्यापक/निदेशक/डीन के हस्ताक्षर मुहर सहित

जांच सूची
(उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय आवश्यक विवरण)

क्र.सं.	दस्तावेज	हां	नहीं
1	प्रपत्र के अनुसार प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र		
क	संस्वीकृति संख्या और तिथि		
ख	चार्टर्ड अकाउंटेंट की सदस्यता संख्या		
ग	संस्थान के प्रमुख और चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर		
घ	कार्यक्रम की तिथि		
2	लेखा का विवरण		
क	प्रशिक्षुकों के लिए आवास और भोजन		
ख	सिद्धस्थ व्यक्तियों के लिए आवास और भोजन		
ग	सिद्धस्थ व्यक्तियों के लिए मानदेय		
घ	सहायक स्टॉफ के लिए मानदेय		
ङ.	प्रशिक्षण सामग्री		
च	संस्थानिक सहायता के लिए समेकित राशि		
छ	आकास्मिक के लिए समेकित राशि		
ज	व्यवहारिक प्रदर्शन में उपभोग्य के लिए समेकित राशि		
झ	व्याख्यानो की गुणवत्तायुक्त श्रव्य दृश्य रिकार्डिंग		
ञ	संस्थान के प्रमुख और चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर		
3	इस आशय का प्रमाण पत्र की संगठन ने इसी प्रयोजन के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग किसी सरकारी एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)		
4	उपलब्धि-सह-कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)		
5	संलग्न प्रपत्र के अनुसार फीड-बैक रिपोर्ट		
6.क	प्रशिक्षुक का नाम व पता दर्शाने वाला विवरण (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)		
6.ख	संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र कि सभी प्रशिक्षुक सीसीआईएम/सीसीएच के तहत पंजीकृत है। (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)		
7	सिद्धहस्त व्यक्तियों की सूची सहित उनके पते जो संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित हो। (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)		

8	प्रशिक्षुकों को दी गई पठन सामग्री, हार्ड कापी और सीडी (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)		
9	प्रमाण पत्र कि सभी भुगतान मूल टिकटों को प्रस्तुत करने पर किए गए हैं। (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)		
10	अनुदान की खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई हो, को लेखा अधिकारी, रोकड़ (स्वास्थ्य) के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय आयुष मंत्रालय को वापस लौटा दी जाए।		